233/17 चौथी प/ रामा वगैरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.5.18	पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत अभियान में अटल सेवा केन्द्र ग्रा.प. निम्बलकोट में पेश हुई। पक्षकारान को जारी लोक अदालत नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए हैं जो शामिल मिसल हों। वकील प्रार्थी अनु./ विप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित हैं। विप्रार्थी सं. 9 की ओर से वकील सरकार ए.जी.पी. (कोर्ट) उप./ विप्रार्थी सं. 1 ता 8 हाजिर नहीं होने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जा रहा है जो न्यायहित में स्वीकार किया जाकर विस्तृत आदेश पृथक से लिखवाया जाकर सुनाया गया। और शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी सिणधरी	

Scanned by CamScanner

राजस्व लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार 2018

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,(एस.डी.ओ.)सिणधरी

(लोक अदालत केम्प–अटल सेवा केन्द्र निम्बलकोट)
पीठासीन अधिकारी–श्री अंजुम ताहिर समा, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन स.:–233 / 2017

प्रार्थीनी	बनाम	विप्रार्थीगण
चौथी देवी पत्नि भोपाराम जाति जाट निवासी पनोणी धतरवालों की ढाणी तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर		1.रामाराम पुत्र दूदाराम 2.रणछाराम पुत्र दूदाराम 3.हीराराम पुत्र दूदाराम 4.जसाराम पुत्र दूदाराम 5.पुरखाराम पुत्र हिमथाराम 6.मूलाराम पुत्र बींजाराम 7.मुकनाराम पुत्र बींजाराम 8.वेहनी देवी पत्नि बींजाराम जाति जाट निवासी पनोणी धतरवालों की ढाणी तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर 9.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
(वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1 श्री डालूराम चौधरी,अधिवक्ता प्रार्थीनी की ओर से उपस्थित।

2 पेरोकार सरकार (नायब तहसीलदार सिणधरी) विप्रार्थी सं. **9** की ओर से उपस्थित।

3. विप्रार्थी स.1 से 8 एकरतफा।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner

आदेश

दिनांक– 07.5.18

1.संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि ग्राम पनोणी धतरवालों की ढाणी पटवार क्षेत्र निम्बलकोट तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 102 रकबा 14–01 बीधा भूमि आई हुई है। जिस पर प्रार्थीनी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीनी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीनी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थीनी द्वारा ग्राम पनोणी धतरवालों की ढाणी पटवार क्षेत्र निम्बलकोट तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 102 रकबा 14–01 बीधा भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2.प्रार्थीनी के आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये राजस्व लोक अदालत में उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी किये गये। विप्रार्थीगण के नोटिस तामिल शुदा प्राप्त हुई। विप्रार्थी सं. 1से 8 बावजुद नोटिस तामिल के हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई। विप्रार्थी सं.9 की ओर से जवाब पेश नहीं किया गया। वकील प्रार्थीनी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीनी ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया,कि प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि ग्राम पनोणी धतरवालों की ढाणी पटवार क्षेत्र निम्बलकोट तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 102 रकबा 14–01 बीधा भूमि आई हुई है। जिस पर प्रार्थीनी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है, प्रार्थीनी

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

(मोहर: उपखण्ड अधिकारी सिणधरी)

Scanned by CamScanner

भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीनी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है,और प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि ग्राम पनोणी धतरवालों की ढाणी पटवार क्षेत्र निम्बलकोट तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 102 रकबा 14–01बीधा भूमि की पक्की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमने वकील प्रार्थीनी की बहस पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड,सलंग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमे पाया कि ग्राम पनोणी धतरवालों की ढाणी पटवार क्षेत्र निम्बलकोट तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 102 रकबा 14–01 बीधा भूमि की प्रार्थीनी रिकार्डेड खातेदार है,जो पत्रावली के सलंग्न विवादित भूमि संवत 2071 से 2074 से प्रमाणित होता है। तथा काश्त की सुविधा हेतु अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी करवाना चाहती है,विप्रार्थी स. 1 से 8 बावजूद नोटिस तामील होने के हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है,कि विप्रार्थी स. 1 से 8 को प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी किये जाने मं कोई आपति नहीं होगीं। ऐसी सूरत मे उक्त भूमि की नेखमबन्दी किये जाने मे कोई आपति प्रतीत नही होती है।

5. लिहाजा प्रार्थीनी का आवेदन पत्र लोक अदालत की भावना को मध्यनजर रखते हुए स्वीकार किया जाकर ग्राम पनोणी धतरवालों की ढाणी पटवार क्षेत्र निम्बलकोट तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 102 रकबा 14–01 बीधा भूमि के संबध में सीमाज्ञान की पूर्व में कार्यवाही

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner

सम्पादित की जावें। प्रार्थीनी नियमानुसार शुल्क की राशि अदा करेगी। तत्पश्चात विवादित भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थीनी व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 500/प्रार्थीनी मौके पर अदा करेगी। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

(अंजुम ताहिर समा)
उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 7-5-2018 को लिखवाया जाकर मजमें आम सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

राजस्व लोक अदालत अभियान

Scanned by CamScanner